



प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय,
समस्तीपुर-848127

सूचना सं०:GEC/S/101


दिनांक 25/09/2023


सूचना

सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रावास में प्रवेशीत विद्यार्थी ही छात्रावास में निवास कर सकते हैं। बाहरी कोई भी छात्र, अधीक्षक के स्वीकृति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। यह दंडनीय अपराध होगा एवं राजकीय आदेश का उल्लंघन होगा और प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

नोट:-1. छात्रावास की समाग्री सरकारी संपत्ती है उसे नुकसान पहुँचाना दंडनीय अपराध है। नुकसान पहुँचाने वाला छात्र चिनहित ना होने पर सामुहीक दंड शुल्क लिया जायेगा।

2. किस छात्र को प्रवेश देना है यह महाविद्यालय छात्रावास नियमावली के अनुसार कॉलेज प्रशासन का सर्वाधिकार है।


25/09/23
छात्रावास अधीक्षक,
(बालक)
जी.ई.सी.,समस्तीपुर।


25.9.2023
प्राचार्य,
जी.ई.सी.,समस्तीपुर।